

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश  
गौतम नगर, भोपाल - 462021  
दूरभाष 0755-2583650 फैक्स 0755-2583651  
ई-मेल dpimp@sancharnet.in

कमांक/स्था-1/राज/पी/89/2009/1198  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17-08-09

कलेक्टर,  
जिला - सिंगरोली, पन्ना, नरसिंहपुर, सिवनी, इन्दौर, हरदा,  
रतलाम, खण्डवा, अनूपपुर, नीमच, रीवा, मुरैना, बडवानी, ग्वालियर ।

विषय:-संचालनालय के आदेश दिनांक 14.7.2009 द्वारा पदोन्नत परियोजना समन्वयक को कार्यमुक्त न करने बाबत ।

संदर्भ:-इस कार्यालय का पत्र क./सा-1/राज/पी/89/2009/1028 दिनांक 25.7.2009

-0-

उपर्युक्त विषयांकित एवं सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करे । संचालनालय के आदेश दिनांक 14.7.2009 द्वारा व्याख्याता संवर्ग से प्राचार्य हाईस्कूल पद पर पदोन्नति संबंधी आदेश जारी किये गये थे । उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में पदोन्नत जिला परियोजना समन्वयक को सन्दर्भित पत्र द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने के निर्देश दिये गये थे ।

निर्देशानुसार उक्त नवपदोन्नत प्राचार्य हाईस्कूल जो अभी जिला परियोजना समन्वयक के पद पर पदस्थ है उन्हें पदोन्नति पश्चात पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जावे ।


  
(बी.आर. नायडू)

आयुक्त लोक शिक्षण  
मध्य प्रदेश

पृष्ठा.कमांक /स्था-1/राज/पी/89/2009/1199  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 17-08-09

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी, स्कूल शिक्षा, मंत्रालय भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - सिंगरोली, पन्ना, नरसिंहपुर, सिवनी, इन्दौर, हरदा, रतलाम, खण्डवा, अनूपपुर, नीमच, रीवा, मुरैना, बडवानी, एवं ग्वालियर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत हाईस्कूल प्राचार्यों को तत्काल पदांकित संस्था के लिये कार्यमुक्त करें ।

  
आयुक्त लोक शिक्षण  
मध्य प्रदेश